न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम संख्या–03, अजमेर

पीठासीन अधिकारी : **नीरज गुप्ता, आर.जे.एस.**
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 639/2026
(सी.आई.एस.नंबर 639/2026)

ललित कुमार बदलानी पुत्र श्री नारायण दास, उम्र 51 वर्ष, निवासी 1889/55 बालाजी नगर, माकडवाली रोड वैशाली नगर अजमेर। **——प्रार्थी/अभियुक्त**

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये अपर लोक अभियोजक। **———अप्रार्थी**

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–137/2026 पुलिस थाना कृष्णगंज, अपराध अन्तर्गत धारा 112(2), 318(4), 61(2) (ए) बी.एन.एस. व 3/4 आर.पी.जी.ओ.

उपस्थितिः–
1. **श्री टी.सी. टांक,** विद्वान् अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी/अभियुक्त।
2. **विद्वान अपर लोक अभियोजक**, राज. राज्य की ओर से।

:: आदेश :: **दिनांक 11.06.2026**

1. प्रार्थी/अभियुक्त **ललित कुमार** की ओर से हस्तगत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, अजमेर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उक्त अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र विधिनुसार सुनवाई एवं निस्तारण हेतु अन्तरित होकर प्राप्त होने पर इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया गया। अग्रिम जमानत आवेदन पत्र की प्रति विद्वान् अपर लोक अभियोजक को दिलवाई गई। संबंधित प्रकरण की केस डायरी तलब की गई।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 12.05.2026 को परिवादी उगमाराम, उप निरीक्षक थाना कृष्ण ने उपस्थित थाना होकर एक टाईपशुदा तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई कि दिनांक 12.05.2026 को समय 08.55 पीएम पर श्री शंकर सिंह रावत सहायक उप निरीक्षक प्रभारी जिला स्पेशल टीम ने उसको जरिये मोबाईल सूचना दी कि उसे मुखबीर खास के सूचना मिली है कि बालाजी नगर माकड़वाली रोड़ वैशालीनगर अजमेर स्थित ललित कुमार बदलानी पुत्र श्री नारायणदास बदलानी के मकान में 3–4 व्यक्ति गुजरात टाईटन्स व सनराईज हैदराबाद के बीच चल रहे आईपीएल क्रिकेट मैच पर लाखों रूपयों का सट्टा कर रहे है, तुरन्त दबिश दी जावे तो पकड़ में आ सकते है। जिस पर वह टीम के साथ बालाजी नगर पहुँचकर मकान की निगरानी रख रहा हूँ, कार्यवाही हेतु तुरन्त पहुँचे। प्राप्त सूचना के सम्बन्ध में थानाधिकारी को हालात निवेदन किये गये, जिस पर थानाधिकारी ने नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने के निर्देश फरमाये है। इत्तला विश्वसनीय होने से बालाजी नगर माकडवाली रोड़ वैशालीनगर अजमेर स्थित ललित कुमार बदलानी के मकान की खाना तलाशी लेना आवश्यक होने से श्रीमान पुलिस अधीक्षक अजमेर से धारा 5 आर.पी.जी.ओ. के

तहत खाना तलाशी/सर्च वारन्ट प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र मूर्तिब कर श्री राजेन्द्र चौधरी कानि. 511 को देकर श्रीमान पुलिस अधीक्षक अजमेर से खाना तलाशी/सर्च वारन्ट प्राप्त कर बालाजी नगर माकड़वाली रोड वैशालीनगर अजमेर स्थित ललित कुमार बदलानी के मकान पर उपस्थित आने की हिदायत कर श्रीमान पुलिस अधीक्षक अजमेर के निवास की ओर रवाना किया गया। तत्पश्चात श्री शंकर सिंह रावत सहायक उप निरीक्षक प्रभारी जिला स्पेशल टीम अजमेर से प्राप्त सूचना के अनुसार कार्यवाही हेतु वह मय श्री कुन्नाराम स.उ.नि., श्री करतार सिंह कानि. 1028, श्री मोहन सिंह कानि. 825 मय अनुसंधान बॉक्स, लेपटॉप–प्रिन्टर, दीगर एसेसरीज व प्राईवेट वाहन के पुलिस थाना कृष्णगंज अजमेर से रवाना होकर स्टीफन तिराहा पहुँचे। जहाँ पर कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाह तलब कर लाने के लिए श्री मोहन कानि० 825 को रवाना किया, जिसने कुछ समय बाद वापस आकर उसको बताया कि पुलिस कार्यवाही, कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ने व स्थानीय मामला होने से कोई व्यक्ति गवाह बनने को तैयार नहीं है। इसी दौरान राजेन्द्र कानि0 511 श्रीमान पुलिस अधीक्षक अजमेर से धारा 5 आरपीजीओ के तहत खाना तलाशी वारन्ट प्राप्त कर उपस्थित आया व खाना तलाशी वारन्ट/सर्च वारण्ट उसके समक्ष पेश किया। मुताबिक सूचना के कार्यवाही हेतु हमराह जाप्ता में से श्री मोहन कानि० 825 व श्री राजेन्द्र कानि0 511 को गवाह मामूर किया गया। तत्पश्चात वह मय हमराह जाप्ता के स्टीफन तिराहे से रवाना होकर बालाजी नगर, माकडवाली रोड, वैशाली नगर अजमेर ललित कुमार बदलानी के मकान के पास पहुँचे, जहाँ पर श्री शंकर सिंह एएसआई, प्रभारी जिला स्पेशल टीम अजमेर अपनी टीम के साथ मकान की निगरानी करते हुये मौजूद मिले। जहाँ पर श्री शंकर सिंह, सहायक उप निरीक्षक ने उसको बताया कि उसे विश्वसनीय मुखबीर से सूचना मिली है कि ललित कुमार बदलानी के इसी मकान में 3–4 आदमी आईपीएल क्रिकेट मैच पर सट्टे की खाईवाली व लगाईवाली कर रहे है। तत्पश्चात श्रीमान पुलिस अधीक्षक अजमेर द्वारा जारी खाना तलाशी वारन्ट की पालना में मकान में प्रवेश किया तो मकान के हॉल में उपस्थित महिलाओ को ईत्तला से अवगत कराकर खाना तलाशी वारण्ट दिखाकर सामने बन्द कमरे का दरवाजा धक्का देकर खोलने पर कमरे में रखे डबल बैड पर तीन व्यक्ति बैठे मिले, जिनके सामने दो लेपटॉप व काफी संख्या में मोबाईल हैण्डसेट, एक डायरी, बॉल पेन, रखे है। एचपी कम्पनी के लेपटॉप में starHD एप्प में सनराईज हैदराबाद व गुजरात टाईटन्स के बीच आईपीएल क्रिकेट मैच लाईव चल रहा है, जिसमें सनराईज हैदराबाद 02 विकेट खोकर 18 के स्कोर पर बेटिंग कर रही थी, जिसके बेटसमैन किशन 6 रन के निजी स्कोर पर स्ट्राईक व समरन 6 रन के निजी स्कोर पर नॉन स्ट्राईक पर बेटिंग कर रहे थे व गुजरात टाईटन्स टीम फिल्डिंग कर रही थी, जिसका गेन्दबाज सिराज बॉलिंग कर रहा था तथा दूसरे डेल कम्पनी के लेपटॉप में iAssistant एप्प में क्रिकेट मैच पर लगाईवाली व खाईवाली का हिसाब–किताब का इन्द्राज किया जा रहा है। उक्त तीनो व्यक्तियो को जैसे के तैसे बैठे रहने की हिदायत कर खाना तलाशी वारन्ट दिखाकर तामीली प्रक्रिया पूर्ण की गई। उक्त व्यक्तियो से नाम पता पूछने पर एक ने अपना नाम मुकेश कुमार मूलचन्दानी उर्फ जुम्मा पुत्र श्री घनश्याम दास उम्र 46 साल जाति सिन्धी निवासी प्लॉट नं0–2, झुलेलाल मन्दिर के पास, वैध जी का चौराहा, निवारू रोड, गणेश नगर विस्तार, पुलिस थाना करधनी जयपुर, दूसरे ने अपना नाम खालिद सिसोदिया पुत्र श्री इकबाल सिसोदिया उम्र 30 साल जाति सुन्नी मुस्लमान निवासी मकान नं० 772, बगरू वालो का रास्ता, हनुमान मन्दिर के पास, चान्दपोल बाजार, पुलिस थाना नाहरगढ, जयपुर तथा तिसरे ने अपना नाम जावेद खांन पुत्र श्री वहिद खांन उम्र 40 साल जाति सुन्नी मुस्लमान निवासी मकान नं0 3139, दुकान नं0 390 के ऊपर,

चॉदपोल बाजार, पुलिस थाना कोतवाली जयपुर बताया, जिनके कब्जे में मिले उपकरणों का गहनता से अवलोकन करने पर 02 लेपटॉप जिसमें एक लेपटॉप HP कम्पनी मय चार्जर जिसका डिवाईस नाम LEPTOP-LMQAVG6J व सीरियल नम्बर 5CD4266SKG जिसमें starHD एप्प में सनराईज हैदराबाद व गुजरात टाईटन्स के बीच आईपीएल क्रिकेट मैच लाईव चल रहा है। दूसरा लेपटॉप DEEL कम्पनी का मॉडल DESTOP-CKRRTIG सीरियल नम्बर 5K7HDL2 MFG YR 2018 जिसमें iAssistant एप्प में क्रिकेट सट्टे बुकियो की लाईनो की लगाईवाली व खाईवाली का हिसाब–किताब का इन्द्राज किया जा रहा है। इसके अलावा कुल 22 मोबाईल हैण्डसेट है जिनके बारे में उपरोक्त तीनो व्यक्तियो से पूछने पर बताया कि एक मोबाईल हैण्डसेट Redmi कम्पनी का बरंग हल्का हरा, मॉडल A3X आईएमईआई नम्बर 866882075265243, 866882075265250 है, जिसमें सिम नही है तथा मोबाईल के पिछे स्टीकर लगा हुआ है जिस पर अग्रेजी में BABA लिखा हुआ है, दूसरा मोबाईल हैण्डसेट Samsung Galaxy कम्पनी का बरंग हल्का काला, मॉडल A06 आईएमईआई नम्बर 350284940779776, 350776870779775 है, जिसमें सिम नही है तथा मोबाईल के पिछे स्टीकर लगा हुआ है जिस पर अग्रेजी में SONA लिखा हुआ है, तिसरा मोबाईल हैण्डसेट Redmi कम्पनी का बरंग हल्का हरा, मॉडल A3X आईएमईआई नम्बर 866882075483481, 866882075483499 है, जिसमें सिम नही है तथा मोबाईल के पिछे स्टीकर लगा हुआ है जिस पर अग्रेजी में NR लिखा हुआ है, चौथा मोबाईल हैण्डसेट Samsung Galaxy कम्पनी का बरंग हल्का हरा, मॉडल A03 core आईएमईआई नम्बर 351314617378450, 353667617378459 है, जिसमें सिम नही है तथा मोबाईल के पिछे स्टीकर लगा हुआ है जिस पर अग्रेजी में T36 लिखा हुआ है, पाँचवा मोबाईल हैण्डसेट Vivo कम्पनी का बरंग हल्का लाल, मॉडल V23 PRO आईएमईआई नम्बर 867718055689854, 867718055689847 है, जिसमें सिम नहीं है तथा मोबाईल के पिछे स्टीकर लगा हुआ है जिस पर अग्रेजी में MAKE MONEY NOT FRIENDS लिखा हुआ है जिसमें मोबाईल नम्बर 9351448324 की सिम लगी हुई है, छठा मोबाईल हैण्डसेट पजमस कम्पनी का बरंग सफेद, मॉडल A50C आईएमईआई नम्बर 356019256225269, 356019256225277 है, जिसमें सिम नहीं है तथा मोबाईल के पिछे स्टीकर लगा हुआ है जिस पर अग्रेजी में PKJ लिखा हुआ है, उक्त मोबाईल में पंकज निवासी जयपुर जिसके मोबाईल नम्बर 9314880714 है, की क्रिकेट बुक्की लाईन चल रही है। सातवा मोबाईल हैण्डसेट Redmi कम्पनी का बरंग काला, मॉडल A3x आईएमईआई नम्बर 866882079095505, 866882079095513 है, जिसमें सिम नही है तथा मोबाईल के पिछे स्टीकर लगा हुआ है जिस पर अग्रेजी में SAL लिखा हुआ है, आठवा मोबाईल हैण्डसेट Samsung Galaxy कम्पनी का बरंग कीम, मॉडल Z FOLD3 आईएमईआई नम्बर 350843354245416, 358936974245410 है, जिसमें सिम है, जिसके नम्बर 9166611190 है, नौवा मोबाईल हैण्डसेट Realme कम्पनी का बरंग गहरा निला, गॉडल C61 आईएमईआई नम्बर 860824070467297, 860824070467289 है, जिसमें सिम नही है तथा मोबाईल के पिछे स्टीकर लगा हुआ है जिस पर अग्रेजी में YW लिखा हुआ है, उक्त मोबाईल में यादव निवासी ब्यावर जिसके मोबाईल नम्बर 7300007325 है, की क्रिकेट बुक्की लाईन चल रही है। दसवां मोबाईल काला, मॉडल A3X जिसके आईएमईआई नम्बर हैण्डसेट Redmi कम्पनी का बरंग 866882079168682, 866882079168690 है, जिसमें सिम नही है तथा मोबाईल के पिछे स्टीकर लगा हुआ है जिस पर अग्रेजी में PD लिखा हुआ है, ग्याहरवा मोबाईल हैण्डसेट Redmi कम्पनी का बरंग हल्का हरा, मॉडल

A3X जिसके आईएमईआई नम्बर 860669071282280, 860669071282298 है, जिसमें मोबाईल नम्बर 8003900226 की सिम लगी हुई है तथा मोबाईल के पिछे स्टीकर लगा हुआ है जिस पर अग्रेजी में PK35 लिखा हुआ है, बाहरवा मोबाईल हैण्डसेट Infinix कम्पनी का बरंग कबूतरी, मॉडल SMART 8HD जिसके आईएमईआई नम्बर 359032190508994, 359032197105398 है, जिसमें सिम नही है, तेहरवा मोबाईल हैण्डसेट Redmi कम्पनी का बरंग हल्का हरा, मॉडल A3X जिसके आईएमईआई नम्बर 860669071283809, 860669071283817 है, जिसमें सिम नही है तथा मोबाईल के पिछे स्टीकर लगा हुआ है जिस पर अग्रेजी में SHU लिखा हुआ है, उक्त मोबाईल में शुभम निवासी जयपुर जिसके मोबाईल नम्बर 9928452121 है, की क्रिकेट बुक्की लाईन चल रही है। चौहदवां जिसके मोबाईल हैण्डसेट Samung Galaxy कम्पनी का बरंग काला, मॉडल A03 core आईएमईआई नम्बर 351314616981288, 353667616981287 है, जिसमें सिम नही है तथा मोबाईल के पिछे स्टीकर लगा हुआ है जिस पर अग्रेजी में RUD लिखा हुआ है, पन्द्रहवा मोबाईल हैण्डसेट Samung Galaxy कम्पनी का बरंग हल्का नांरगी, मॉडल I13 जिसके आईएमईआई नम्बर 351270416929184, 355296506929186 है, जिसमें सिम नही है तथा मोबाईल के पिछे स्टीकर लगा हुआ है जिस पर अग्रेजी में SHIN लिखा हुआ है, सोहलवां मोबाईल हैण्डसेट टपअव कम्पनी का बरंग काला, मॉडल Y16 जिसके आईएमईआई नम्बर 860607069701556, 860607069701549 है, जिसमें सिम नही है तथा मोबाईल के पिछे स्टीकर लगा हुआ है जिस पर अग्रेजी में BWN लिखा हुआ है, सत्रहवां मोबाईल हैण्डसेट ITEL कम्पनी का बरंग सफेद, मॉडल A50C जिसके आईएमईआई नम्बर 356019256225707, 356019256225715 है, जिसमें सिम नही है तथा मोबाईल के पिछे स्टीकर लगा हुआ है जिस पर अग्रेजी में SXI लिखा हुआ है, अहठारवा मोबाईल हैण्डसेट INFINIX कम्पनी का बरंग हल्का पीला, मॉडल SMART 8HD जिसके आईएमईआई नम्बर 359032190373381, 359032197762339 है, जिसमें सिम नही है, उक्त मोबाईल में महेश वरलानी उर्फ बी.टी. निवासी अजमेर जिसके मोबाईल नम्बर 9829726322 है, की क्रिकेट बुक्की लाईन चल रही है। उन्नीसवां मोबाईल हैण्डसेट Samsung Galaxy कम्पनी का बरंग कबूतरी, मॉडल A03 CORE जिसके आईएमईआई नम्बर 351314618379911, 353667618379910 है, जिसमें सिम नही है तथा मोबाईल के पिछे स्टीकर लगा हुआ है जिस पर अग्रेजी में AAA लिखा हुआ है, बिसवां मोबाईल हैण्डसेट Samsung कम्पनी का बरंग हल्का हरा, मॉडल S24 ULTRA जिसके आईएमईआई नम्बर 352722662 334385, 352744882334383 है, जिसमें मोबाईल नम्बर 9783009025 की सिम लगी हुई है। उक्त मोबाईल आरोपी खालिद सिसोदिया ने स्वयं का होना बताया है। इक्कीसवां मोबाईल हैण्डसेट Redmi कम्पनी का बरंग काला, मॉडल 14C जिसके आईएमईआई नम्बर 869444075803569, 869444075803577 है, जिसमें मोबाईल नम्बर 9166611145 की सिम लगी हुई है। उक्त मोबाईल आरोपी मुकेश कुमार मुलचन्दानी उर्फ जुम्मा ने स्वयं का होना बताया है। बाईसवां मोबाईल हैण्डसेट IPHONE कम्पनी का बरंग सफेद, मॉडल 17 air जिसके आईएमईआई नम्बर 351737650539556, 351737650387493 है, जिसमें मोबाईल नम्बर 9928677779, 9636877786 की सिम लगी हुई है। उक्त मोबाईल आरोपी जावेद खांन ने स्वयं का होना बताया है। पाँच मोबाईल चार्जर मय लीड जिन पर अग्रेजी में GLAMOUR लिखा है, एक सोनी कम्पनी का वॉईस रिकार्डर बरंग काला, एक एयरटेल कम्पनी का वाई–फाई सेटअप बॉक्स मॉडल नम्बर AOT4221NK सिरियल नम्बर NKOTB00029F6 मय चार्जर, बिजली का एक एक्सटेशन बोर्ड, एक डायरी

जिसमें हिसाब–किताब लिखा हुआ है जिसके कंवर पृष्ठ पर अग्रेजी में classic note books लिखा है व inxtra कम्पनी का एक बॉल पेन है। उक्त तीनो आरोपीगण से मकान मालिक के बारे में पूछने पर उक्त मकान ललित कुमार बदलानी पुत्र श्री नारायणदास बदलानी निवासी बालाजी नगर, माकडवाली रोड, वैशाली नगर अजमेर का होना बताया। उक्त तीनो व्यक्तियो मुकेश कुमार मुलचन्दानी उर्फ जुम्मा, खालिद सिसोदिया, व जावेद खांन द्वारा ललित कुमार बदलानी के सहयोग से मकान का जुआघर के रूप में उपयोग करते हुए संगठित होकर लोगो के साथ छल व धोखाधडी करके स्वयं को अनुचित लाभ पहुँचाने के लिये अपने बडे सटोरियो से क्रिकेट मैच की बुक्की लाईन लेकर लोगों को क्रिकेट मैच पर दाँव लगाकर मोटा मुनाफा कमाने का झासा देकर आईपीएल 2026 के सनराईज हैदराबाद व गुजरात टाईटन्स के क्रिकेट मैच पर विभिन्न मोबाईल फोनो से जूम एप्प के माध्यम से सम्पर्क कर क्रिकेट मैच पर मोबाईल व लेपटॉप के माध्यम से लाखों–करोडो रूपयों की खाईवाली व लगाईवाली कर एक व्यक्ति को सदोष लाभ व दूसरे व्यक्ति को सदोष हानि पहुँचाकर धोखाधडी करना व क्रिकेट सट्टे की खाईवाली व लगाईवाली करना जुर्म धारा 112 (2),318 (4).61 (2) (ए) बी.एन.एस व 3/4 आरपीजीओ के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से श्रीमान पुलिस अधीक्षक अजमेर से जरिये मोबाईल सम्पर्क कर जुर्म धारा 112(2) भारतीय न्याय संहिता–2023 के तहत कार्यवाही करने की मौखिक स्वीकृति प्राप्त की गई, तत्पश्चात अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया व मौके पर मिले सामान को जब्त कर मौके की कार्यवाही पूर्ण कर थाना हाजिर हुआ ....इत्यादि।

3. उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना कृष्णगंज पर अभियोग संख्या 137/2026 अन्तर्गत धारा 112(2), 318(4), 61(2)(ए) बीएनएस व धारा 3/4 आरपीजीओ में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया तथा अब तक के अनुसंधान से प्रार्थी/मुलजिम व अन्य के विरूद्ध धारा 112(2), 318(4), 61(2)(ए) बीएनएस व धारा 3/4 आरपीजीओ का अपराध प्रमाणित पाया गया है, जिस प्रकरण में दौराने अनुसंधान अपनी गिरफ्तारी की आशंका से ग्रसित होकर प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अग्रिम जमानत प्राप्ति हेतु हस्तगत आवेदन पेश किया गया है।

4. बहस अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सुनी गई।

5. दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी/मुलजिम की ओर से निवेदन किया गया कि प्रार्थी/मुलजिम मौके पर नहीं मिला है, ना ही उसकी शेष मुलजिमान से कोई जान पहचान है। केवल पूर्व के मुकदमों के लम्बित होने के कारण प्रकरण में उसे झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/मुलजिम को सहअभियुक्तगण के कथनों के आधार पर हस्तगत प्रकरण में मिथ्या रूप से लिप्त किया गया है। प्रार्थी/मुलजिम से किसी प्रकार की कोई बरामदगी व अनुसंधान नहीं किया जाना है, ना ही किसी प्रकार की तफ्तीश शेष है। प्रकरण में अन्य सहअभियुक्तगण की जमानत स्वीकार की जा चुकी है तथा प्रार्थी पर अधिरोपित आरोप सहअभियुक्तगण से भिन्न प्रकृति के नहीं है। प्रार्थी/मुलजिम एक प्रतिष्ठित परिवार से है, यदि उसे झूठे प्रकरण में गिरफ्तार किया जाता है तो उसकी प्रतिष्ठा पर आंच आने की सम्भावना है। प्रार्थी/अभियुक्त अनुसंधान में पूरा सहयोग करने को तत्पर व तैयार है। प्रार्थी न्यायालय के आदेशानुसार जमानत मुचलके पेश करने को तैयार है। अतः प्रार्थी का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर एफ.आई.आर संख्या 137/2026, थाना कृष्ण गंज, अजमेर के अनुसंधान अधिकारी को निर्देशित किये जाने की प्रार्थना की कि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी/मुलजिम को गिरफ्तार करने की सूरत में उसके द्वारा जमानत मुचलके प्रस्तुत करने पर उसे रिहा कर दिया जावे।

6. वहीं दौराने बहस अपर लोक अभियोजक द्वारा उक्त तर्कों का विरोध करते हुए निवेदन किया गया कि प्रकरण में अभी अनुसंधान शेष है, यदि

प्रार्थी/मुलजिम को अग्रिम जमानत का लाभ दिया गया तो अनुसंधान प्रभावित होगा। अतः अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

7. मेरे द्वारा बहस के प्रकाश में केस डायरी अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी/मुलजिम के मकान में अन्य तीनों सहअभियुक्तगण द्वारा क्रिकेट पर सट्टे करने के सम्बंध में मुखबीर इत्तला प्राप्त होने पर कार्यवाही की गई है तथा मौके पर अनेक मोबाईल, लेपटॉप व क्रिकेट सट्टे से संबंधित सामान पाया गया है।

8. जहां तक अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का सम्बंध है, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **AIR 2014 (SC) page 626 State of M.P. v/s Pradeep Sharma** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि:—

> "Power in sec. 438 CRPC is extra ordinary in character and it is to be exercised only in exceptional cases, where it appears that the person may be falsely implicated"

न्यायिक दृष्टान्त **पंकज बनाम स्टेट ऑफ राज. 1996 कि. लॉ. जन. 3265 दिनांक 26 अप्रेल 1996** में मान. राज. उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि अग्रिम जमानत केवल उन्हीं अपवादिक मामलों में दी जानी चाहिए जहां यह पाया जाए कि अभियुक्त निर्दोष है और उसे मिथ्या तौर पर संलिप्त किया गया है और उसकी अपराध में भूमिका नहीं रही हो।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अध्यतन न्यायिक दृष्टांत **(2023) 8 सुप्रीम कोर्ट केसेज 181 प्रतिभा मनचंदा व अन्य बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा व अन्य** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि:—''अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते समय अभियुक्त की स्वतंत्रता एवं निर्दोषिता की उपधारण के साथ—साथ अपराध की गंभीरता, समाज में पड़ने वाले प्रभाव तथा स्वच्छ अनुसंधान की आवश्यकता के बिंदु को भी ध्यान में रखना आवश्यक है।''

9. माननीय उच्चतम न्यायालय एवं राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित किये गये उक्त न्यायिक दृष्टान्तों से स्पष्ट है कि अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र तभी स्वीकार किया जा सकता है, जहा कोई मामला अपवादिक प्रकृति का हो जिसमें यह प्रतीत होता हो कि प्रार्थी/अभियुक्त को अपराध में गलत रूप से संलिप्त किया गया है और उसका आरोप से कोई संबंध नही है।

10. जहां तक उक्त न्यायिक दृष्टांतों के प्रकाश में हस्तगत प्रकरण का संबंध है, प्रकरण में अब तक के अनुसंधान से प्रार्थी/मुलजिम व अन्य मुलजिमान के विरूद्ध धारा 112(2), 318(4), 61(2)(ए) बीएनएस व धारा 3/4 आरपीजीओ का अपराध प्रमाणित पाया गया है। प्रार्थी/मुलजिम के पूर्व के निम्न आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज होना केस डायरी से दर्शित है—

क्र.सं.	पुलिस थाना	मुकदमा नम्बर व दिनांक	धारा	नतीजा
1	पुष्कर	253/16, 17.10.16	13 आरपीजीओ	—
2	कृष्णगंज	201/20, 28.5.20	13 आरपीजीओ	50 रूपये जुर्माना
3	कृष्णगंज	इस्तगासा, 14.11.23	3/4 आरपीजीओ	न्यायालय पैंडिग

11. इस प्रकार प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध इसी प्रकृति के 3 मुकदमे दर्ज होना केस डायरी पर उपलब्ध आपराधिक रिकॉर्ड से दर्शित है, जिससे दर्शित है कि

मुलजिम बार–बार ऐसी गतिविधियों में संलिप्त रहा है। प्रार्थी/मुलजिम पर स्वयं का मकान जुंआ घर के रूप में उपलब्ध करवाने के सम्बंध में गंभीर प्रकृति का आरोप है। प्रकरण में अभी अनुसंधान किया जाना शेष है। प्रार्थी/मुलजिम द्वारा अनुसंधान में सहयोग करना दर्शित नहीं है। केस डायरी के अवलोकन से प्रकरण में मुलजिम की अपराध में संलिप्तता दर्शित होती है तथा यह दर्शित नहीं है कि मुलजिम को झूठा फंसाया गया हो। यदि प्रार्थी/मुलजिम को अग्रिम जमानत का लाभ दिया गया, तो उससे अनुसंधान प्रभावित होने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

11. अतः प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रकरण के समस्त तथ्य व परिस्थितियों में प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान किया जाना इस न्यायालय के विनम्र मत में न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

आदेश

12. परिणामस्वरूप प्रार्थी/अभियुक्त ललित कुमार बदलानी पुत्र श्री नारायण दास, उम्र 51 वर्ष, निवासी 1889/55 बालाजी नगर, माकडवाली रोड वैशाली नगर अजमेर की ओर से प्रस्तुत हस्तगत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र एतद्द्वारा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(नीरज गुप्ता)
अपर सेशन न्यायाधीश
क्रम–03, अजमेर

13. आदेश आज दिनांक 11.06.2026 को लिखाया जाकर हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया जाकर सरे इजलास उद्घोषित किया गया।

(नीरज गुप्ता)
अपर सेशन न्यायाधीश
क्रम–03, अजमेर

IMRAN Digitally signed by IMRAN
Date: 2026.06.11 12:51:49 +0530